( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 102 / 2023**

**पंजीकरण संख्या :– 2023 / 220**

**बउनवान**

जानकी बाई पुत्री श्री मांगीलाल आयु 70 वर्ष पत्नी रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

**बनाम**

1. रामचरण पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारा

(रेस्पोडेन्टगण)

**अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 310 दर्ज दिनांक 17.02.1992 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :– 1– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट कम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट कम 2)

## निर्णय दिनांक 23.05.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 17.02.1992 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट कम 1 को जरिये सम्मन कमांक 873 दिनांक 12.09.2023 एवं सम्मन कमांक 236 दिनांक 22.02.2024 से 02 बार तलब किया गया। जो इस रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुये कि उपस्थित होने के बावजूद भी रामचरण पुत्र मांगीलाल ने लेने से मना कर दिया और अपशब्दो का प्रयोग किया गया। इस पर प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट कम 1 की तामील होना माना गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त नही होने पर प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट के अभिभाषक की लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ओर उसे स्वीकार किया जाकर अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई ।

**अपीलांट के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस कहा गया कि ग्राम हरनावदा जागीर, तहसील छीपाबडौद पटवार हल्का पछाड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ मे अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र गो[illegible] के खाते मे [illegible] 136 की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित थी। मांगीलाल की मृत्यु हो जाने पर पटवारी [illegible] नामान्तरकरण नम्बर 310 खोला गया, उसमे सर्किल आई.एल.आर. छीपाबडौद [illegible] 1992 [illegible] का अंकन था कि चम्पा बाई फोत हो गई है इसका सुलभी [illegible] रामजानकी मौजूद है, जिसकी शादी हो चुकी है, रामजानकी अपना नाम खाते मे दर्ज नही कराना चाहती, आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:42 IST
Reason: SelfAttested

इससे स्पष्ट था कि चम्पा बाई के एक पुत्री रामजानकी उर्फ जानकी बाई [illegible] है। परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा यह मानकर कि रामजानकी ने हिस्सा छोडना जाहिर किया और केवल मात्र रामचरण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया और तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अकेले रामचरण का नाम दर्ज कर दिया गया, अपीलांट ने हिस्सा छोडने बाबत् कभी कोई सहमति नही दी, अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर अपीलांट को उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता। इसलिए अपीलान्ट जानकारी की दिनांक से नामान्तरकरण संख्या 310 के विरूद्व निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करती है :–

यह कि आदेश तहसीलदार छीपाबडौद बाबत् नामान्तकरण संख्या 310 विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि राजस्व रिकार्ड से यह पूर्णतया साबित था कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 135 की 8 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामचरण एवं अपीलांट की मां मृतक चम्पा बाई थी। चम्पाबाई की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण संख्या 310 खोला गया। उससे यह स्पष्ट था कि चम्पा बाई के एक पुत्री रामजानकी बाई मौजूद है। फिर भी तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा यह मानकर कि रामजानकी ने अपना हिस्सा छोडना जाहिर किया और नामान्तरकरण अकेले रामचरण के नाम तस्दीक कर दिया। जिसके आधार पर अकेले रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम उक्त वर्णित आराजी पर चला आ रहा है जो अवैधानिक है।

यह कि निर्विवाद तथ्य है कि उक्त वार्णित आराजी अपीलान्ट के पिता मांगीलाल के खाते की थी एवं मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस पुत्र रामचरण बेवा चम्पा बाई एवं पुत्री अपीलांट उसके जायज वारिस थे एवं कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान थे। इसीलिए मांगीलाल ने फोती नामान्तरकरण संख्या 211 अपीलांट के नाम भी नामान्तरकरण खोला गया, परन्तु नामान्तरकरण मे एवं आगे राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया जो अवैधानिक है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 211 के विरूद्व भी पृथक से अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी गई है।

यह कि उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट की मां चम्पा बाई का दिनांक 12.11.1990 को देहान्त हो चुका है उसकी मृत्यु के समय जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 310 तस्दीक किया गया उसमे भी अपीलांट को चम्पा बाई की लडकी माना गया है। परन्तु इस नामान्तरकरण मे भी अवैधानिक रूप से अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया। अपीलांट ने कभी भी हिस्सा नही लेना जाहिर नही किया एवं इन्तकाल की फर्द पर रामजानकी के हस्ताक्षर है जबकि अपीलांट का नाम जानकी बाई है एवं अन्य दस्तावेजों मे भी जानकी बाई है। कानूनन केवल हिस्सा छोडना जाहिर किया। इस तथ्य के अवैधानिक अंकन से अपीलांट के हित व अधिकार समाप्त नही हो जाते। इस तरह हिस्सा छोडने का कानून मे कोई प्रावधान नही है।

उपरोक्त अपील मे वर्णित पेरा क्रम 1 लगायत 4 मे वर्णित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर 135 की आराजी अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र गोपाल के खाते की थी एवं मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके बाद अपीलांट की मां चम्पा बाई की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे मृतक मांगीलाल खातेदार के केवल मात्र 2 वारिस अपीलांट पुत्री व रेस्पोडेन्ट रामचरण पुत्र है और दोनो उक्त आराजी पर समभाग से अर्थात 1/2, 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण खुलवाने के अधिकारी है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद की आराजी खसरा नम्बर 135 की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी के मामले मे तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 310 निरस्त किया जावे एवं उक्त आराजी पर समभाग से अपीलांट जानकी बाई एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामचरण के नाम समभाग से नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश फरमाया जावे ।

**प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक** की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 17.02.1992 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट को चम्पा बाई की लडकी माना गया है। परन्तु इस नामान्तरकरण मे अवैधानिक रूप से अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया। अपीलांट ने कभी भी हिस्सा नही लेना जाहिर नही किया एवं इन्तकाल की फर्द पर रामजानकी के हस्ताक्षर है जबकि अपीलांट का नाम जानकी बाई है एवं अन्य दस्तावेजों मे भी जानकी बाई है। कानूनन केवल हिस्सा छोडना जाहिर किया। इस तथ्य के अवैधानिक अंकन से अपीलांट के हित व अधिकार समाप्त नही हो जाते। इस तरह हिस्सा छोडने का कानून मे कोई प्रावधान नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:42 IST
Reason: SelfAttested

**परिणामस्वरूप** अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 17.02.1992 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ खारिज किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक चम्पाबाई के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **23.05.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

198 Fesla 2021